टिप्पणी

33

लोक सेवा आयोग

विभिन्न स्तरों पर देश के सफल प्रशासन में लोक सेवकों (सिविल सर्वेंट) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, सेवा की शर्तें, पदोन्नति की नीतियां आदि महत्वपूर्ण हो जाती है। सिविल सर्वेंट से जुड़े हुए इन मामलों पर निष्पक्ष विचार के लिए एक स्वतंत्र और विशेषज्ञ प्राधिकार की जरूरत होती है, जिसे लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है।

हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोग के गठन को संविधान में शामिल किया जाना है।

यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) संवैधानिक निकाय है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद के अधिनियम के तहत होता है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- सिविल सर्वेंट की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र **एजेंसी** की आवश्यकता को समझ सकेंगे;
- यूपीएससी की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे;
- यूपीएससी के क्रियाकलाप का वर्णन कर सकेंगे;
- राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे;
- राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को पहचान सकेंगे;
- संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए संवैधानिक प्रावधान को याद कर सक सकेंगे; तथा
- लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर सकेंगे।

33.1 एक स्वतंत्र एजेंसी की जरूरत

सिविल सर्वेंट की भर्ती किसी भी तरह के पक्षपात से मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही योग्यता पर आधारित व्यवस्था लोगों में विश्वास जागृत करेगी। भर्ती में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता

सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के रूप में एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन इनमें से एक है। इस एजेंसी के जरिए–

(i) कार्यकारी शाखा को लोक सेवा के उच्चतर स्तरों पर भर्ती करने का अधिकार दिया गया है।

(ii) अस्तित्व में आई एजेंसी एक आयोग के रूप में अतिरिक्त विभागीय इकाई है जो सरकार की सामान्य व्यवस्था से बाहर काम करती है।

(iii) स्वायत्त कामकाज सुनिश्चित करने के लिए इस एजेंसी को विशेष संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया है।

यह निश्चित रूप से याद रखा जाना चाहिए कि आयोग सिर्फ एक भर्ती एजेंसी है न कि नियुक्ति प्राधिकार। नियुक्ति करने का अधिकार सरकार के पास है। आयोग एक सलाहकार और अनुशंसा करने वाली इकाई है। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं। सामान्य तौर पर सरकार इसकी अनुशंसाएं स्वीकार कर लेती है लेकिन सरकार आयोग के सुझाव को स्वीकार नहीं भी कर सकती है। ऐसे मामलों में अनुशंसा स्वीकार नहीं करने के कारण बताये और रिकार्ड किए जाते हैं।

पाठगत प्रश्न 33.1

सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाइए :

(1) सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है–

(क) चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा

(ख) मंत्रियों द्वारा

(ग) सिविल सर्वेट द्वारा

(घ) भारत के लोगों द्वारा

(2) सिविल सर्वेट की नियुक्ति करने वाली स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी है:

(क) कर्मचारी चयन बोर्ड

(ख) चुनाव आयोग

(ग) योजना आयोग

(घ) लोक सेवा आयोग

(3) सिविल सर्वेट की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की जरूरत है क्योंकि:

(क) यह लोक सेवाओं में योग्यता व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखती है।

(ख) यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है।

(ग) यह मंत्रियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है।

(घ) यह सिविल सर्वेट की नियुक्ति करने वाला प्राधिकार है।

33.2 आयोग की तरह के संगठन की आवश्यकता

संविधान में सिविल सर्वेंट की नियुक्ति को संचालित करने के लिए परम्परागत विभागीय व्यवस्था से अलग एक आयोग की व्यवस्था है। संविधान के निर्माता शायद इस तथ्य से प्रेरित थे कि इस काम के लिए विशेषज्ञ और दीर्घकालीन विशेषज्ञता युक्त जानकारी की जरूरत है। इस संबंध में विशेषज्ञों का एक समूह विचार विमर्श करेगा। विशेषज्ञ अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर वस्तुनिष्ठ और बेहतर निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होंगे। सामूहिक रूप से निर्णय लेने के ऐसे तरीके को क्रियाकलाप या निर्णय लेने की प्रक्रिया का कॉरपोरेट तरीका कहा जाता है।

इसके अलावा लोक सेवा आयोग जैसी बहुलवादी इकाई में निर्णय लेने की प्रक्रिया से पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञ भी जुड़े होते हैं। जब कई सारे विशेषज्ञ विचार विमर्श के लिए एकत्रित होते हैं तो पक्षपात की संभावना खत्म हो जाती है और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो पाती है। आयोग सामान्य सरकारी व्यवस्था से अलग काम करता है, इसके लिए अधिक लचीला और प्रगतिशील तरीके अपनाना संभव है। नौकरशाही वाली कठोरता और विलंब जो सरकारी विभागों की विशेषता है, से बचा जा सकता है।

33.3 आयोग के लिए संवैधानिक स्थान का महत्व

संवैधानिक स्थान देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयोग बिना भय और पक्षपात के काम करने में सक्षम होगा। यह तब संभव हो सकता है जब इसकी रचना, भूमिका और अधिकार, इसके सदस्यों के विशेषाधिकार, नियुक्ति और हटाए जाने के तरीके, नियुक्ति की योग्यता और हटाने के आधार आदि संविधान द्वारा संरक्षित हो। आयोग बिना किसी राजनीतिक या किसी अन्य बाहरी प्रभाव या सोच के काम कर सकता है। इस तरह से आयोग को संवैधानिक हैसियत देने का मतलब है उसके अधिकार और स्वतंत्रता का किसी कार्यकारी या विधायी शक्ति द्वारा किसी भी संभावित अतिक्रमण के विरुद्ध उसे सुरक्षा प्रदान करना।

33.4 केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन

केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय लोक सेवाओं के लिए संविधान में केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की स्थापना का प्रावधान है। आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्ते राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं जिसका मतलब सरकार है। यह तय किया गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष और छह से आठ सदस्य होंगे। इस समय आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष समेत नौ है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। संविधान के अनुसार आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत कम से कम दस साल की सेवा का अनुभव हो।

आयोग से जुड़ने की तारीख से कोई भी सदस्य छह वर्ष के कार्यकाल तक या फिर 65 वर्ष पूरे होने तक अपने पद पर रह सकता है। आयोग का अध्यक्ष सरकार के अंतर्गत भविष्य में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन उसके अन्य सदस्य यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं।

नियुक्ति के बाद आयोग के सदस्यों की वे सेवा शर्ते बदली नहीं जा सकतीं जिनसे उन्हें घाटा हो। उनके वेतन, भत्ते आदि संसदीय कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें भारत सरकार के संचित कोष से वेतन, भत्ते आदि मिलते हैं। यह भी प्रावधान है कि आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्देश के बाद सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही इस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। अदालत द्वारा की जा रही जांच लंबित होने

की स्थिति में राष्ट्रपति सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। अध्यक्ष समेत कोई भी सदस्य दुर्व्यवहार का दोषी पाया जा सकता है, अगर वह सदस्य के रूप में अपना दायित्व निभाते समय किसी मौद्रिक लाभ में दिलचस्पी रखते हुए पाया जाता है। यह प्रावधान भी है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दिवालियापन, मस्तिष्क या शरीर की कमजोरी या अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्य से अलग किसी वेतनयुक्त रोजगार से जुड़े होने की स्थिति में पद से हटा सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 33.2

सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाइए :

(1) लोक सेवा आयोग एक

(क) संवैधानिक इकाई है

(ख) वैधानिक इकाई है

(ग) कार्यकारी निर्णय द्वारा स्थापित इकाई है

(घ) इनमें से कोई नहीं

(2) लोक सेवा आयोग काम करता है

(क) एक भर्ती एजेंसी के रूप में

(ख) वैधानिक इकाई है

(ग) सभी सरकारी नियुक्तियों के मामले में सलाहकार इकाई के रूप में

(घ) इनमें से कोई नहीं

(3) यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है

(क) मंत्री परिषद द्वारा

(ख) राष्ट्रपति द्वारा

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा

(घ) सर्वोच्च न्यायाल द्वारा

33.5 केंद्रीय लोक सेवा आयोग के क्रियाकलाप

संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार यूपीएससी के क्रियाकलाप हैं:

(i) भर्ती के तरीकों से संबधित मामलों और प्रत्यक्ष या पदोन्नति के द्वारा लोक सेवा के लिए की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित नियमों के संबंध में सरकार को सलाह देना।

(ii) नियुक्ति, पदोन्नती और स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में सलाह देना।

(iii) पूरे देश के स्तर पर आयोजित सेवाओं के लिए नियुक्ति संबंधी परीक्षाएं संचालित करना।

(iv) लोक सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना।

(v) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध शुरु की गई कानूनी कार्रवाई के दावे और कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी सरकारी सेवक के घायल होने से संबंधित दावे पर सलाह देना।

(vi) राष्ट्रपति द्वारा निर्दिस्ट किसी अन्य मामले पर सलाह देना।

संसद द्वारा आयोग के क्रियाकलापों को विस्तारित करने से संबंधित भी प्रावधान हैं। यह न सिर्फ सरकारी सेवाओं के संदर्भ में है, बल्कि स्थानीय प्राधिकरण, निगम या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़ी सेवाओं के संदर्भ में भी संभव है।

आयोग के क्षेत्राधिकार को इसके दायरे से कुछ पदों को हटाकर कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित पदों के लिए नियुक्ति के सिलसिले में आयोग से मशविरा नहीं किया जाता है:

(i) किसी प्राधिकरण या आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति

(ii) उच्च राजनयिक प्रकृति के पद

(iii) समूह 'सी' और समूह 'डी' के कर्मचारी जो केन्द्र सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 90 फीसदी हैं।

निंदा, बाध्यता, सेवानिवृत्ति हटाए जाने या पद से बर्खास्तगी, पदोन्नति रोक कर नीचे की श्रेणी या पद पर बनाए रखना, लापरवाही की वज़ह से सरकार को होने वाली क्षति के परे या आंशिक हिस्से की उगाही या आदेश का उल्लंघन जैसे मामलों में आयोग से मशविरा किया जाता है। इसके अलावा किसी याचिका या ज्ञापन पर विचार के बाद नीचे के किसी अधिकारी द्वारा लगाए गए किसी जुर्माने के विरुद्ध दायर अपील पर राष्ट्रपति के आदेश के संबंध में मशविरा किया जाता है।

आयोग नियुक्ति के तौर तरीकों और एक सेवा से दूसरी सेवा में नियुक्तियां, पदोन्नति और स्थानांतरण के मामले में अपनाए जाने वाले नियमों और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संबंध में भी सरकार को सलाह देता है।

आयोग द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देना भी आयोग का कर्तव्य है। रिपोर्ट के साथ ज्ञापन भी दिया जाता है जिसमें आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम की चर्चा होती है। इसे संसद के समक्ष रखा जाता है। इस तरह से आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार न करने की स्थिति में सरकार कारण बताने के लिए जिम्मेदार हो जाती है।

पाठगत प्रश्न 33.3

सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाइए :

(1) यूपीएससी के वार्षिक रिपोर्ट को पेश करना भारत के राष्ट्रपति का दायित्व है:

(क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

(ख) संसद के समक्ष

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष

(घ) मंत्री परिषद के समक्ष

(2) **भारतीय संविधान की धारा 321 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त क्रियाकलाप सौंपे जा सकते हैं:**

(क) राष्ट्रपति द्वारा

(ख) प्रधानमंत्री द्वारा

(ग) संसद द्वारा

(घ) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

33.6 राज्य लोक सेवा आयोग का गठन

भारत के प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है। संविधान के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्यपाल आयोग के सदस्यों की संख्या तय करते हैं। आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को केन्द्रीय या राज्य सरकार के तहत न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा छह वर्ष के कार्यकाल या 62 वर्ष की उम्र तक के लिए की जाती है। यद्यपि राज्यपाल नियुक्ति करने में सक्षम हैं लेकिन सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय की जाती हैं लेकिन संविधान के अंतर्गत प्रावधान है कि उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान अंतर्निहित हैं।

राज्य लोकसभा आयोग के किसी सदस्य की सेवानिवृत्त या किसी अन्य स्थिति में यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को उसी आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

यूपीएससी की तरह राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उसे राज्य विधायिका के समक्ष उन मामलों के साथ रखते हैं जिनमें सरकार ने आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे मामलों में सरकार को आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करने या खारिज़ करने की वज़ह बतानी पड़ती है।

राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार से जुड़े हुए उन्हीं कार्यों को संपादित करता है जो केन्द्र सरकार के मामले में केंद्रीय लोक सेवा आयोग करता है।

33.7 एक संयुक्त लोक सेवा आयोग

दो या उससे अधिक राज्य अपने लिए एक लोक सेवा आयोग बनाने पर सहमत हो सकते हैं। अगर इस संबंध में प्रत्येक राज्य की विधायिका के प्रत्येक सदन (2 सदन होने की स्थिति में) द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद उन राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी कानून बना सकती है।

संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

33.8 लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता

निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य यूपीएससी और एसपीएससी दोनों को किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र रखना है:

1. सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष की तय अवधि या फिर यूपीएससी के मामले में 65 वर्ष की उम्र और एसपीएससी के मामले में 62 वर्ष की उम्र के लिए होती है।

2. किसी सदस्य की सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

3. किसी सदस्य को हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय से मशविरा करने के बाद कुछ विशेष आधारों पर ही राष्ट्रपति द्वारा संभव है।

4. आयोग पर होने वाले खर्च भारत की संचित निधि से होता है।

5. आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले को छोड़कर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी निर्देशों को संसद या राज्य विधायिका के समक्ष ऐसे-ऐसे परिवर्तन जो उपर्युक्त हो सकते हैं, के लिए रखा जाना जरूरी है।

6. तय सीमा से आगे किसी सदस्य की नियुक्ति कड़ाई से प्रतिबंधित है।

पाठगत प्रश्न 33.4

सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाएं :

(1) राज्य पीएससी के सदस्य अपने पद पर इस उम्र सीमा तक रह सकते हैं:

(क) 60 वर्ष

(ख) 62 वर्ष

(ग) 63 वर्ष

(घ) 64 वर्ष

(2) एसपीएससी के सदस्य का कार्यकाल होता है:

(क) 4 वर्ष

(ख) 5 वर्ष

(ग) 6 वर्ष

(घ) 7 वर्ष

(3) संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति होती है:

(क) राष्ट्रपति द्वारा

(ख) राज्यपाल द्वारा

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा

(घ) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

आपने क्या सीखा

1. इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए कुछ स्वतंत्र और विशेषज्ञ इकाइयां हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग कहा जाता है। आयोग सिविल सर्वेंट की भर्ती करता है और उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के बारे में सरकार को सलाह देता है।
2. केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की तीन श्रेणियां हैं।
3. यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

4. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
5. लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के लिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान हैं।
6. सामान्य तौर पर ये आयोग सिविल सर्वेंट, विशेष रूप से उच्चतर स्तर पर उनकी नियुक्ति के मामले में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में बेहद उपयोगी साबित हुए हैं।

पाठांत प्रश्न

1. सिविल सर्वेंट की भर्ती करने वाली किसी स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख के बारे में बताएं।
2. केंद्रीय लोक सेवा आयोग की रचना और क्रियाकलापों की व्याख्या करें।
3. संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है और इसके लिए क्या योग्यताएं हैं?
4. किस तरह से भारत का संविधान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

33.1

1. ग
2. घ
3. क

33.2

1. क
2. क
3. ख

33.3

1. ख
2. ग

33.4

1. ख
2. ग
3. क

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खंड 33.1 देखें
2. खंड 33.4 एवं 33.5 देखें
3. खंड 33.6 देखें
4. खंड 33.8 देखें